कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सुलतानपुर।

पत्र सं0: प- 18/एफ0एस0-15 दिनांकः मई 15 ,2015

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
सुलतानपुर।

विषयः- मेसर्स एस्सार आयॅल लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या 250अ ग्राम पकडी तहसील सदर जनपद सुलतानपुर के रिटेल आउट लेट की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

कृपया एस्सार आयॅल लि0 अरिहन्त काम्पलेक्स सिंगरा वाराणसी के पत्रांक ई0ओ0एल0-एन0जे0/ यू0पी0-ई0-1732 दिनांकः 30-03-15 पर आपके पत्र संख्याः 254/एल0बी0सी0 दिनांकः 28-04-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एंव स्थल का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, सुलतानपुर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया। तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

ढाचॉगत संरचनाओं के सम्बन्ध मेंः-

1- प्रस्तावित स्थल सुलतानपुर प्रतापगढ मुख्य मार्ग पर पश्चिम दिशा में स्थित है, जहॉ पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2- प्रस्तावित स्थल अभी पूर्णरूप से खाली है।

3- स्थल के ऊपर से कोई हाई टेन्शन लाइन नहीं है।(विद्युत की)

4- मानचित्र में दो भूमिगत टैंक 30,000 लीटर हाई स्पीड डीजल तथा एक टैक 20000 लीटर पेट्रोल हेतु प्रस्तावित है।

5- प्रवेश एंव निकास के लिये 11.5 मीटर खुला स्थान छोडा गया है, तथा 12 मीटर का बफर स्ट्रेक प्रस्तावित है।

6- वाहनों में डीजल/पेट्रोल भरने के लिये 02-02 डिस्पेन्सर मशीन लगायी जायेगी।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाः-

पेट्रोलियम एक्ट-1934 व इसकी नियमावली-2002 संसोधित-2005 तथा विस्फोटक अधिनियम व नियमावली के मानकों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही निम्न सुझाव प्रस्तावित किये जाते हैः-

1- आई0एस0आई0 मार्क 08 ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर 09 किग्रा0 क्षमता प्रति डिस्पेंसर 02 की दर से व 02 अदद् ए0एफ0एफ0एफ0 फायर एक्सटिंग्यूसर 09 लीटर क्षमता व सी0ओ0टू0 4.5 किग्रा0 क्षमता का लगाया जाय।

2- 06 अदद् फायर बकेट (क्षमता 09 लीटर प्रत्येक) लगायी जाय।

3- सभी लाइटे फ्लेम प्रूफ लगायी जाय।

4- वेन्ट पाइप के ऊपर डवलवेस वायर की जाली लगायी जाय तथा न्यूनतम् 04 मीटर का क्लियर स्पेश रखा जाय।

5- 10000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक स्थापित किया जाय, जो अग्निशमन कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा।

6- आई0एस0-2148 के अनुसार बिजली की वायरिंग की जाय। जिस पर ओवर लोडिंग न रहे।

7- पूरा क्षेत्र ''धूम्रपान निषेध'' रखा जाय।

8- फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर 101,240279 एंव 9454418737 की पट्टिका अधिष्ठापित कराया जाय।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जा रहा है कि समस्त अग्निशमन उपकरण एन0बी0सी0-2005 के मानक के अनुसार करायेगें तथा स्थापना के उपरान्त संचालन से पूर्व अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग व रिफलिंग फीस राजकीय कोष में प्रति वर्ष जमा कराके क्रियाशील रखेगें एंव अग्निशमन विभाग से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराके आपत्ति रहित आख्या प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों के अनुपालन किये जाने की शर्त के अनुसार उक्त रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(आर0 एस0 मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
सुलतानपुर।

प्रतिलिपिः- मेसर्स एस्सार आयॅल लि0 अरिहन्त काम्पलेक्स सिंगरा वाराणसी द्वारा भूखण्ड संख्या 250अ ग्राम पकडी तहसील सदर जनपद सुलतानपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही।